भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1981
01 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

हिन्द महासागर टूना आयोग

1981. एडवोकेट ए. एम. आरिफ़:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पक्षधारकों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर गहरे समुद्र में भारतीय ध्वज लगी मछली पकड़ने की नौकाओं द्वारा मछली पकड़ने के विनियमन संबंधी प्रारूप दिशा-निर्देश, 2022 को अंतिम रूप देने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसे अंतिम रूप दिए जाने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में बड़े कॉरपोरेट पूंजी निवेश के विरुद्ध मछुआरों, वैज्ञानिकों तथा जनप्रतिनिधियों की आपत्तियों पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने दिशा-निर्देशों का प्रारूप तैयार करते समय हिंद महासागर टूना आयोग द्वारा उल्लिखित टूना मछली के भंडार की अनिश्चित स्थिति पर विचार नहीं किया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का इस क्षेत्र की भागीदारी फर्मों, निजी और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों और निगमों को अनुमति देने के प्रावधान को इस प्रारूप से हटाने पर विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क)और (ख)" :अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में भारतीय ध्वज लगे मत्स्यन जहाजों द्वारा मत्स्यन विनियमन के लिए मसौदा दिशानिर्देश ,2022" मत्स्यपालन विभाग ,मत्स्यपालन ,पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ,भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किए गए थे और हितधारकों के साथ उचित परामर्श प्रक्रिया के बाद अद्यतन किया गया है।

(ग) :सरकार ने दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करते समय हिंद महासागर में टूना स्टॉक की स्थिति पर विचार किया है , जैसा कि हिंद महासागर टूना आयोग द्वारा अनुमान लगाया गया है।

(घ): अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र (अंतर्राष्ट्रीय जल या राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र या एबीएनजे क्षेत्र से आगे) में मत्स्यन ज्यादातर एक वाणिज्यिक उद्यम है, जिसमें भारतीय नागरिक, भारतीय पार्टनरशिप फर्म, निजी और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों और निगमों सहित सभी पात्र संस्थाओं को अनुमति दी जाएगी । हालाँकि, सरकार का इरादा भारतीय मत्स्यन जहाजों द्वारा एबीएनजे में मत्स्य संसाधनों के उपयोग की सुविधा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में मात्स्यिकी से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौतों/व्यवस्थाओं में प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन और समुद्र में मछुआरों की तटीय सुरक्षा के लिए निगरानी और संचार तंत्र को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक मछुआरों को बढ़ावा देना है ।

*****